

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, उदयपुर

(पीठासीन अधिकारी : श्री ओ.पी. बुनकर आर.ए.एस.)

प्रकरण स. : 25/2019 (राजस्व अपील)

RCMS No. 2019/00050

अनवान

1. श्री जगमाल पिता धुला मीणा, निवासी थाणा, तहसील सराड़ा, जिला उदयपुर।

– अपीलान्त

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार सराड़ा, जिला उदयपुर।

– रेस्पोंडेन्ट

उपस्थित

1. श्री चन्द्रप्रकाश पुरोहित, अधिवक्ता अपीलान्त।
2. श्री कल्पित जैन, राजकीय अधिवक्ता।

अपील अंतर्गत धारा 75, राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956

अपील विरुद्ध न्यायालय तहसीलदार सराड़ा, प्र.स. 11/2019 दिनांक 13.11.2019

* निर्णय *

दिनांक— 16-12-2020

प्रकरण में संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलान्त ने इस न्यायालय में अपील अन्तर्गत धारा 75, राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरुद्ध आदेश तहसीलदार सराड़ा, जिला उदयपुर निर्णय दिनांक 13.11.2019 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार सराड़ा के समक्ष पटवारी हल्का थाणा ने आराजी संख्या 1 रकबा 0.0030 हेक्टेयर किस्म मगरी पर नाजायज कब्जा कर अपीलान्त द्वारा निर्माण कार्य करा दिये जाने की रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 13.11.2019 को निर्णय पारित कर अपीलान्त का मौके से बेदखल करने का आदेश पारित कर दिया। अपीलान्त इस भूमि पर अपने पिता के समय से काबिज है एवं राजस्व रेकर्ड में किस्म गलत अंकित की गई है। अपीलान्त द्वारा उक्त भूमि पर बिजली का कनेक्शन भी ले रखा है एवं आवंटन की पात्रता रखता है। अधिनस्थ न्यायालय में उक्त वाद दिनांक 05.11.2019 को संस्थित किया गया है एवं अपीलान्त को जवाब, शहादत एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर नहीं दिया गया व दिनांक 13.11.2019 को ही प्रकरण का निस्तारण कर दिया। उक्त निर्णय मेकेनिकल प्रोसेस की तरह निर्णय होकर उचित नहीं है। नोटिस में वर्णित आराजी ग्राम थाणा की आबादी के पास लगती हुई भूमि है। ग्राम थाणा की उक्त आराजी के संबंध में किस्म परिवर्तन करने हेतु ग्राम पंचायत द्वारा प्रस्ताव बनाकर सक्षम प्राधिकारी को प्रेषित कर रखा है। अतः अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटि पूर्ण होने से निरस्त किया जावे।

प्रकरण बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया गया एवं रेस्पोंडेन्ट को नोटिस/सूचना पत्र जारी किये गये। रेस्पोंडेन्ट की ओर से राजकीय अधिवक्ता द्वारा उपस्थिति दी गई एवं प्रकरण में पृथक से जवाब पेश न कर सीधे बहस हेतु अनुरोध किया। अधिनस्थ न्यायालय से मूल पत्रावली



तलब की गई। तहसीलदार सराड़ा से मूल पत्रावली संख्या 11/2019 प्राप्त होने पर बहस हेतु तिथि नियत की गई।

बहस हेतु निर्धारित तिथि को उभय पक्ष के अधिवक्ता उपस्थित हुए। अपीलान्त अधिवक्ता ने बहस प्रारंभ करते हुए अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए तहसीलदार सराड़ा द्वारा पारित आदेश को विधि विरुद्ध बताया एवं अपीलान्त का उक्त आराजीयात पर अपने पिता के समय से पुराना कब्जा होना, उक्त भूमि पर विद्युत कनेक्शन होना, अपीलार्थी को अधिनस्थ न्यायालय में सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया जाना, ग्राम पंचायत द्वारा आबादी विस्तार के प्रस्ताव सक्षम अधिकारी को भेजा जाना, अवगत कराया एवं अनुरोध किया कि अपीलान्त को बेदखल कर देने से उसके परिवार के भरण पोषण में बाधा होगी। अधिनस्थ न्यायालय में सुनवाई हेतु पर्याप्त समय नहीं दिये जाने से उक्त निर्णय को अपास्त किया जाकर प्रकरण पुनः सुनवाई हेतु प्रतिप्रेषित किया जावे।

बहस में भाग लेते हुए राजकीय अधिवक्ता ने कथन किया कि मौजा थाणा, तहसील सराड़ा की आराजी संख्या 1 रकबा 0.0030 हेक्टेयर, किस्म मगरी होकर राजस्व रेकॉर्ड में चारागाह के नाम दर्ज है। उक्त भूमि पर अपीलान्त द्वारा नाजायज कब्जा करने की रिपोर्ट अधिनस्थ न्यायालय में प्राप्त होने पर अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार सराड़ा द्वारा नियमानुसार सुनवाई कर अपीलान्त को भूमि से बेदखल करने का आदेश प्रदान किया है, जो नियमानुसार हैं। राजकीय भूमि पर कब्जा करने का अपीलान्त को कोई अधिकार नहीं है। उक्त भूमि को आबादी विस्तार अथवा किस्म परिवर्तन के लिए कोई प्रस्ताव सक्षम अधिकारी को प्रेषित किया गया हो ऐसा कोई दस्तावेज भी पत्रावली पर मौजूद नहीं है। अधिनस्थ न्यायालय की ऑर्डर शीट दिनांक 08.11.2019 में भी अपीलान्त द्वारा अतिक्रमण करना स्वीकार किया है। अतः अपीलान्त द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार कर खारिज की जावे एवं अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 13.11.2019 को यथावत रखा जावे।

हमने उभय पक्ष की बहस सुनी एवं अपीलान्त द्वारा प्रस्तुत अपील, अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं उनमें वर्णित तथ्यों आदि का गंभीरता से अध्ययन किया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह ज्ञात होता है कि प्रकरण राजस्व ग्राम थाणा, तहसील सराड़ा की आराजी संख्या 1 रकबा 0.0030 हेक्टेयर, किस्म मगरी भूमि पर अपीलान्त द्वारा दुकान निर्मित कर अतिक्रमण करने से संबंधित है, जिसमें अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पटवारी हल्का से मौका रिपोर्ट प्राप्त कर अपीलान्त को पर्याप्त सुनवाई का अवसर देने के उपरान्त भूमि से बेदखल करने के आदेश पारित किये हैं। अपीलान्त अधिवक्ता द्वारा उक्त भूमि पर अपीलान्त का पुराना कब्जा होने, विद्युत कनेक्शन होने, किस्म गलत अंकित होने, ग्राम पंचायत द्वारा प्रस्ताव भेजने संबंधी कथन की पुष्टि हेतु कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये हैं। अपीलान्त का कथन है कि उसे सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया, जबकि दिनांक 08.11.2019 को उपस्थिति स्वरूप अपीलान्त के हस्ताक्षर मौजूद हो अतिक्रमण करना स्वीकार किया गया है। ऐसी स्थिति में तहसीलदार द्वारा की गई कार्यवाही प्रथम दृष्ट्या नियमानुसार होना स्पष्ट होने से तहसीलदार सराड़ा द्वारा पारित आदेश में किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना हम उचित नहीं समझते हैं।

अतः अपीलान्त द्वारा प्रस्तुत अपील अन्तर्गत धारा 75, राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 सारहीन होने से अस्वीकार कर खारिज की जाती है एवं अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार सराड़ा, जिला उदयपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 13.11.2019 को यथावत रखा जाता है। साथ ही तहसीलदार सराड़ा को निर्देश प्रदान किये जाते है कि यदि राजकीय भूमियो पर ओर भी ऐसे अतिक्रमण हो तो ऐसे अतिक्रमण को चिन्हित करते हुए अतिक्रमियों के विरुद्ध भी धारा 91, भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत कार्यवाही करना सुनिश्चित करावे एवं भविष्य मे भी बिलानाम राजकीय भूमि पर अतिक्रमण करने वाले अतिक्रमियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही की जावें।

निर्णय खुले न्यायालय मे सुनाया गया। प्रकरण फैसल शुमार होकर नंबर से कम किया जावे।

(ओ.पी. बुनकर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
उदयपुर